(22)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर, केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू-रा/2017/2043

1. लखनलाल आ. स्व. मिश्रीलाल वर्मा
2. राममोहन आ. स्व. मिश्रीलाल वर्मा
   दोनों निवासी ग्राम पालनपुर तह. व जिला जिला होशंगाबाद
3. श्रीमती मीना बाई उम्र करीब 40 साल पत्नी स्व. रामसेवक पुत्री स्व. मिश्रीलाल
   निवासी गोखले वार्ड सिवनी मालवा
   तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .... आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती गुलाबबाई उर्फ छुट्टन बाई पुत्री स्व. मिश्रीलाल वर्मा
2. श्रीमती मोहनिया बाई पुत्री मिश्रीलाल पत्नि नरोत्तम मिश्रा
   दोनों निवासी ग्राम पालनपुर तह. व जिला होशंगाबाद .... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा रा.प्र. क्र. 25अ/6 वर्ष 2015–16 लखनलाल बगैरा विरूद्ध श्रीमती गुलाब बाई बगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 जो कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2014–15 गुलाब बाई बगैरा विरूद्व लखनलाल वर्मा बगैरा मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 से उत्पन्न हुआ है, के विरूद्व असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करते हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/2017/2043 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26–4–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी के अधिकार प्राप्त है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की निगरानी अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	